भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4802

28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष औषधियों के भ्रामक विज्ञापन

4802. श्री सुखदेव भगत:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में भ्रामक विज्ञापनों में होने वाली उल्लेखनीय वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उक्त विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए कोई प्रयास किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध पूर्व में जारी निर्देशों का खंडन करने वाली मंत्रालय की अधिसूचना पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त बढ़ती प्रवृत्ति और कानूनी चुनौतियों को देखते हुए सरकार द्वारा भ्रामक आयुष दवा विज्ञापनों के प्रसार का प्रभावी रूप से समाधान करने और उसे कम/नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस उपाय लागू किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क), (ग) और (घ): जी हां, आयुष मंत्रालय ने अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) के एक घटक के रूप में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) दवाओं के लिए एक भेषजसतर्कता कार्यक्रम कार्यान्वित किया है। भेषजसतर्कता कार्यक्रम एक राष्ट्रीय भेषजसतर्कता केंद्र (एनपीवीसीसी), पांच मध्यवर्ती भेषजसतर्कता केंद्रों (आईपीवीसी) और देश भर में स्थापित 99 परिधीय भेषजसतर्कता केंद्रों (पीपीवीसी) के त्रि-स्तरीय नेटवर्क के माध्यम से कार्य कर रहा है।

इन केंद्रों को भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी और चूककर्ताओं के विरूद्ध उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य नियामक प्राधिकरणों को रिपोर्ट करने का अधिकार है।

पिछले तीन वर्षों में, आयुष दवाओं से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों के चूककर्ताओं के विरूद्ध उचित कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को सूचित किया गया है, जैसा कि **संलग्नक**। में दिया गया है।

औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और इसके अंतर्गत नियमों में आयुष औषधियों सहित औषधियों और औषधीय पदार्थों के भ्रामक विज्ञापनों और अतिरंजित दावों, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई देते हैं, पर रोक लगाने के प्रावधान शामिल हैं। आयुष मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की हैं और एसएलए को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसे लागू करने और विनियमित करने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय ने दिनांक 18.04.2024 को एक एडवाइजरी जारी की और सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रो के आयुष औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरणों, सभी आयुष औषधि निर्माताओं/संघों तथा राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केंद्रों को "आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) औषधियों/दवाओं के लिए लेबलिंग प्रावधानों के अनुपालन" के संबंध में निर्देशित किया।

इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय ने दिनांक 08.10.2024 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें आम जनता को एएसयूएंडएच औषधियों/दवाओं के बारे में तथ्यों की जानकारी दी गई और उनसे भ्रामक विज्ञापनों से बचने का आग्रह किया गया, जिसे हिंदी, अंग्रेजी और कई क्षेत्रीय भाषाओं में भारत भर के 100 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था।

उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) भ्रामक विज्ञापनों के विरूद्ध शिकायत (जीएएमए) पोर्टल का रखरखाव करता है, जो भ्रामक विज्ञापनों के मामलों का समाधान करने हेतु एक मंच प्रदान करता है। इसके अलावा, चूंकि टीवी चैनलों का विनियमन और प्रवर्तन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमओआईबी) के अधीन आता है, अतः टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले भ्रामक विज्ञापनों के संदर्भ, कार्रवाई के लिए एमओआईबी को भेजे जाते हैं।

(ख): जी हां, आयुष मंत्रालय ने दिनांक 01.07.2024 के राजपत्र अधिसूचना संख्या- जी.एस.आर. 360(ङ) के द्वारा आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (एएसयूडीटीएबी) की सिफारिशों के आधार पर औषधि नियम, 1945 के नियम 170 का विलोप कर दिया है। इसके अलावा, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 27.08.2024 के डब्ल्यू. पी. (सिविल) सं.645/2022 पर अपने आदेश के माध्यम से औषधि नियम, 1945 के नियम 170 के विलोपन की अधिसूचना पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

*****

संलग्नक-I

भेषजसतर्कता द्वारा देखे गए और एसएलए को सूचित किए गए आयुष औषधियों से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	**अवधि**	**भ्रामक विज्ञापन**
1	मार्च, 2022- फरवरी, 2023	7,417
2	मार्च, 2023- फरवरी, 2024	7,790
3	मार्च, 2024- फरवरी, 2025	11,119
कुल		**26,326**